

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)
संचिका संख्या-10/बि०रा०म०आ०-02/2006 (खंड-III)

अधिसूचना

बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 (यथा संशोधित अधिनियम, 2024) की धारा-14 (क)(iv) अंतर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-1322 दिनांक-07.06.2025 द्वारा "बिहार राज्य महिला आयोग" का पुनर्गठन किया गया है। जिसमें अध्यक्ष एवं 06 (गैर-सरकारी) सदस्यों का मनोनयन किया गया है। उक्त के क्रम में आयोग के अनुसूचित जाति हेतु गैर-सरकारी सदस्य के रिक्त पद पर निम्नांकित सदस्य का मनोनयन किया जाता है :-

- i. श्रीमती साधना देवी, सदस्य (गैर-सरकारी)
पति- श्री राम किशोर प्रसाद निराला, अनुसूचित जाति
ग्राम- जगदीशपुर (बन्धेर),
पो०- हथवन, थाना- अलौली,
जिला- खगड़िया- 848203

2. बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 (यथा संशोधित अधिनियम, 2024) एवं इसके संगत नियमावली में निहित प्रावधान एवं सेवा शर्त आयोग के गैर-सरकारी सदस्य पर लागू होंगे।

3. मनोनयन की तिथि से अधिकतम 03 (तीन) वर्ष या 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु पूरी करने, जो भी पहले हो तक पद पर बने रहेंगे।

4. आयोग का विहित कार्यकाल के होते हुए भी, राज्य सरकार को किसी भी समय आयोग को भंग करने की शक्ति होगी, यदि वह संतुष्ट है कि इस अधिनियम के कार्यकरण और उद्देश्य के अनुरूप आयोग का विघटन व्यापक जनहित में है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(योगेश कुमार सागर)

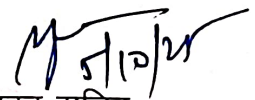
संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:- 10/बि०रा०म०आ०-02/2006 (खंड-III)- 2193 पटना, दिनांक-05/10/2025

प्रतिलिपि:- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



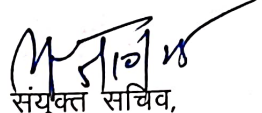


संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

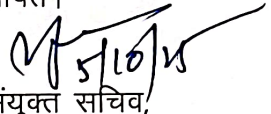
ज्ञापांक:- 10/बि०रा०म०आ०-02/2006 (खंड-III)-2193 पटना, दिनांक- 05/10/2025

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद/उप सभापति, बिहार विधान परिषद/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

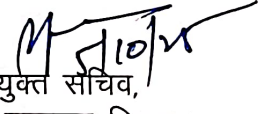
ज्ञापांक:- 10/बि०रा०म०आ०-02/2006 (खंड-III)-2193 पटना, दिनांक- 05/10/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी उप विकास आयुक्त/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, आई०सी०डी०एस०/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण/सभी विभागीय पदाधिकारी (समाज कल्याण विभाग)/आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

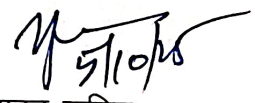
ज्ञापांक:- 10/बि०रा०म०आ०-02/2006 (खंड-III)-2193 पटना, दिनांक- 05/10/2025

प्रतिलिपि:- श्रीमती साधना देवी, पति- श्री राम किशोर प्रसाद निराला, ग्राम- जगदीशपुर (बन्धेर), पो०- हथवन, थाना- अलौली, जिला- खगड़िया- 848203 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:- 10/बि०रा०म०आ०-02/2006 (खंड-III)-2193 पटना, दिनांक- 05/10/2025

प्रतिलिपि:- हस्ताक्षरित प्रति के साथ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग को दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया इसकी मुदित 500 प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय।


संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।